CNR no. UPBU 16 000550 2016

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर।

परिवाद संख्या 3460/2016
वीरपाल उर्फ कल्लन बनाम प्रदीप आदि।
धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं०।
थाना खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर।

दिनांक 17.06.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मामला परिवाद पर आधारित है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांकित 12.04.2017 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमे में संज्ञान लेते हुये उसे अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया है, जिसके संदर्भ में विगत कई तिथियों से परिवादी द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। परिवादी पत्रावली पर लगातार अनुपस्थित चल रहा है। परिवादी के द्वारा कोई हाजिरी माफी या कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः परिवादी का उक्त मामलें में पैरवी हेतु अंतिम अवसर समाप्त किया जाता है। इस स्तर पर परिवाद अन्तर्गत धारा-204(4) दं०प्र०सं० खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद सं०- 3460/2016 खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code- U.P.3303

Digitally signed by PRIYAMVADA CHOWDHARY
Date: 2026.06.19 05:29:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court